



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072022-237352
CG-DL-E-19072022-237352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3063]

No. 3063]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 18, 2022/आषाढ़ 27, 1944

NEW DELHI, MONDAY, JULY 18, 2022/ASHADHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2022

का.आ. 3223(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4006(अ), दिनांक 6 नवंबर, 2019 के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 548सी के किमी 101+740 से किमी 159 + 258 (माजलगांव – कैज खंड) तक को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

और जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे 'उक्त नियमों' के रूप में संदर्भित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने अधिसूचना का.आ. 3891 (अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से या किसी ठेकेदार के जरिए महाराष्ट्र राज्य में रारा-548सी के मंथा तालुक सीमा-वातुरफाटा-अष्टी-मजलगांव-धारूर-कैज-कलांब-यरमाला-कुसलंब-बरशी के माजलगांव से कैज खंड के किमी 101+740 से किमी 159+258 (खंड -3) तक पेव्ड शोल्डरों सहित दो लेन के उपयोग के लिए शुल्क एकत्र करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः अब, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन

और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3891 (अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

(i) उपर्युक्त अधिसूचना की तालिका-1 के ऊपर टिप्पणी के पैरा 2 में निम्नलिखित शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

मौजूदा के स्थान पर	इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा
महाराष्ट्र राज्य में ने राष्ट्रीय राजमार्ग -548सी के मंथा तालुक सीमा-वातुरफाटा-अष्टी-मजलगांव-धारूर-कैज-कलांब-यरमाला-कुसलंब-बरशी के किमी 101+740 से किमी 159+258 (खंड -3) तक के माजलगांव-कैज खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 57.452 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड और 0.66 किमी (0.066 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई (पंक्ति 3,4, 5, 6, और 7 में दिखाई दे रही है)	महाराष्ट्र राज्य में रारा-548सी के मंथा तालुक सीमा-वातुरफाटा-अष्टी-मजलगांव-धारूर-कैज-कलांब-यरमाला-कुसलंब-बरशी के माजलगांव से कैज खंड के किमी 101+740 से किमी 159+258 (खंड -3) तक पेव्ड शोल्डरों सहित दो लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 8.480 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड के लिए के तालिका 1 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट दर तथा 49.04 किमी लंबाई की निवल सड़क खंड और 0.66 किमी (0.066 किमी लंबाई वाली) की समतुल्य संरचना लंबाई

(ii) पूर्वोक्त अधिसूचना में, तालिका 1 के पश्चात् बिंदु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
महाराष्ट्र राज्य में बीड जिले के तालुका धारूर, गांव धारूर के पास किमी 150+267 पर	49.04 (> 60 मीटर संरचना की लंबाई को छोड़कर)	ऊपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	8.480 (> 60 मीटर संरचना की लंबाई को छोड़कर)	ऊपरोक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

(iii) पूर्वोक्त अधिसूचना में, तालिका-1 के पश्चात् टिप्पणियों के बिंदु 2 के अंतर्गत तालिका के शुल्क प्लाजा (चैनेज) का अवस्थान निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: -

मौजूदा के स्थान पर	इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा
जिला- बीड, तालुका- धारूर, अम्बेडगांव गांव के पास किमी 150+267 पर	महाराष्ट्र राज्य में बीड जिले के तालुका धारूर, गांव धारूर के पास किमी 150+267 पर

[फा. सं. आरओ/एमयूएम/पी-1140-2016-17/टोल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2022

S.O. 3223(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4006(E) dated 06th November 2019, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from km 101+740 to km 159+258 (Majalgaon–Kaij Section) of National Highway Number 548 C in the State of Maharashtra to the State Government of Maharashtra ;

And Whereas in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government vide notification S.O. 3891 (E), dated 29th October, 2020 authorized the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the fee for the use of two Lane with paved shoulders from Majalgaon to Kaij section from Km 101+740 to Km 159+258 (Section -3) of Mantha Taluk border-Waturphata-Ashti-Majalgaon-Dharur-Kaij-Kalamb-Yermala-Kusalamb-Barshi of National Highway- 548C in the State of Maharashtra.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing number S.O. 3891 (E), dated 29th October, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

(i) For the following words and figures in Para 2 of the notes above Table-1 of the aforesaid notification, the following words and figures shall be substituted:

In place of existing	Shall be substituted as
net road section length of 57.452 km and for total equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 0.66 km (having total length of 0.066 km) on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below for the use Two Lane with paved shoulders from Majalgaon to Kaij section from Km 101+740 to Km 159+258 (Section -3) of Mantha Taluk border-Waturphata-Ashti-Majalgaon-Dharur-Kaij-Kalamb-Yermala-Kusalamb-Barshi of National Highway-548C in the State of Maharashtra” (appearing in line 4,5, 6, 7, 8 & 9)	net road section length of 49.04 km and equivalent length of structure (having more than 60 m length) of 0.66 km (having total length of 0.066 km) and at 100% of the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 8.480 km on the type of vehicles specified in column (1) of Table 1 below for use of Majalgaon to Kaij section from Km 101+740 to Km 159+258 (Section-3) of Mantha Taluk border-Waturphata-Ashti-Majalgaon-Dharur-Kaij-Kalamb-Yermala-Kusalamb-Barshi of National Highway-548C in the State of Maharashtra

(ii) In the aforesaid notification, Point 1 after Table 1 shall be substituted as under:-

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:-

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 150+267 near Dharur Village Tal Dharur in Beed District in the State of Maharashtra	49.04 (Excluding length of structure > 60m)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	8.480 (Excluding length of structure > 60m)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

(iii) In the aforesaid notification, the location of Fee Plaza (chainage) of Table under the Point 2 of the Notes after Table-1, shall be read as follows:-

In place of existing	Shall be substituted as
At km 150+267 near Ambewadgaon Village, Tal- Dharur, Dist.- Beed.	At km 150+267 near Dharur Village Tal Dharur in Beed District in the State of Maharashtra

[F. No. RO/MUM/P-1140-2016-17/Toll]

AMIT VARADAN, Joint Secy.